

आवास और शहरी गरीबी उद्घाटन मंत्रालय
वर्ष 2022 तक सब के लिए आवास



प्रारूप ख —प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी को आवास-2022) के तहत स्लम पुर्नविकास विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों हेतु लाभार्थी से मांगे जाने वाली सूचना

1. परिवार का मुखिया का नाम

2. लिंग[पुरुष : 01 महिला: 02]

3. पिता का नाम/पति का नाम

4. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा

(i) मकान सं.

(ii) स्लम का नाम

(iii) शहर

(iv) मोबाईल संख्या

5. स्थाई पता

(i) मकान/फ्लैट/द्वार सं.

(ii) गली का नाम

(iii) शहर/गाँव

(iv) जिला, राज्य

6. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा

[स्वामित्व-01, किराया-02, अन्य-03]

7. छत के आधार पर मकान का प्रकार

[पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)-01 अर्द्ध-पक्का

(सीमेंट की चादर/स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)-02

कच्चा/(घास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)-03]

8. रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या

9. खाना पकाने का ईंधन

(गैस-01, विद्युत-02, मिट्ट का तेल-03, तारकोल-04,
लकड़ी-05, अन्य-49)

10. मौजूदा शौचालय सुविधा

(स्वयं का सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-01, स्वयं का शुष्क शौचालय-02,

समुहिक सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-03, सामूहिक शुष्क शौचालय-04,

सामुदायिक सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-05, सामुदायिक शुष्क शौचालय-06, खुले में शौच-07)

11. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं हैं तो मतदाता



आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)

12. राशन कार्ड संख्या

13. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखियासेसम्बन्ध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूलनिवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र

14. परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य (हां/नहीं)

15. वैवाहिक स्थिति- (वैवाहिक-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

16. धर्म

[हिन्दु-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिख-4, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य (उल्लेख करें)]

17. जाति

[समान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

18. बैंक का ब्यौरा

क. बैंक खाता संख्या

ख. बैंक और शाखाकानाम

19. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या

(0 से 1 वर्ष-01, 1 से 3 वर्ष-02, 3 से 5 वर्ष-03, 5 वर्ष से अधिक-04)

20. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्गमीटर में)

21. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है ? (हां/नहीं)

ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।

(बस्ती/शहर/राज्य)

घ. यदि हां, तो वर्गमीटर में भूमि का ब्यौरा दें।



22. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार-01, वेतनभोगी-02, नियमित मजदूरी-03,
मजदूर-04, अन्य-05)

23. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये में)

24. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां/नहीं)

क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।

25. परिवार की आवास आवश्यकता

(नया घर-01, वृद्धि-02)

26. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।

[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]

27. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अन्तर्गत सभी के लिए
आवास (एचएफए) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता हैं

(i) ऋण सेजुड़ी सब्सिडी-01

(ii) भागीदारीमेंकिफायती आवास-02

(iii) स्व-निर्माण-03

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट :-अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा, जिनके लिए "सभी के लिए आवास" स्कीम के दिशार्दिशों के पृष्ठ संख्या 24 पर सभी के लिए आवास कार्य योजना के फ्लो-चार्टप्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी
के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (नगरीय)
लाभार्थी सूचना

गरीब बस्ती का नाम		
गरीब बस्ती की स्थिति वार्ड सं./नाम		
एस.ई.सी.सी. क्रमांक		
1. मकान/प्लैट/डोर संख्या		
2. परिवार के सदस्यों की संख्या		
	पुरुष	
	महिला	
	कुल	
3. परिवार के शिक्षित व्यक्तियों की संख्या (आयु 14 वर्ष से अधिक)		
	पुरुष	
	महिला	
	कुल	
4. 6-14 वर्ष के ऐसे बच्चों की संख्या जो स्कूल नहीं जाते हैं		
	पुरुष	
	महिला	
	कुल	
5. विकलांग सदस्यों की संख्या		
	शारीरिक	
	मानसिक	
	कुल	
6. क्या परिवार गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा है। (हाँ-01, नहीं-02)		
7. क्या परिवार के पास बी.पी.एल कार्ड है? (हाँ-01, नहीं-02)		
8. घर की मालिकाना स्थिति		
(पट्टा-01, कब्जा प्रमाण पत्र/रहने का अधिकार-02, निजी भूमि पर अतिक्रमण-03, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण-04, किराए पर-05, अन्य-49)		
9. घर का प्रकार/संरचना (पक्का-01, अर्द्ध पक्का-02, कच्चा-03)		
10. मकान की स्थिति		
कमरों की संख्या		
किचन (हाँ-01, नहीं-02)		

शौचालय (हाँ-01, नहीं-02)

11. घर में प्रकाश

(विद्युत कनेक्शन-01, मिट्टी का तेल-03, लकड़ी-03, अन्य-49)

12. खाना पकाने का ईंधन

(गैस-01, विद्युत-02, मिट्टी का तेल-03, तारकोल-04, लकड़ी-05, अन्य-49)

13. पेयजल स्रोत

(घर परिसर में - नल-01, ट्यूबवैल-02, खुला कुंआ-03)

(घर से दूर - सार्वजनिक नल-04, ट्यूबवैल/बोर वैल/हैण्डपम्प-05, खुला कुंआ-06, टैंक/तालाब-07, नदी/नहर/झील/झरना-08, पानी का टैंकर-09, अन्य-49)

14. यदि जलापूर्ति घर से दूर है तो जलापूर्ति स्रोत की घर से दूरी

(0.5 किमी से कम-01, 0.5-1.0 किमी-02, 1.0-2.0 किमी-03, 2.0- 5.0 किमी-04, 5.0 किमी से अधिक-05)

15. मौजूदा शौचालय सुविधा

(स्वयं का सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-01, स्वयं का शुष्क शौचालय-02, सामूहिक सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-03, सामूहिक शुष्क शौचालय-04, सामुदायिक सेप्टिक टैंक/पलश शौचालय-05, सामुदायिक शुष्क शौचालय-06, खुले में शौच-07)

16. स्नानगृह सुविधा

(घर के अन्दर-01, घर के बाहर-02, सामुदायिक शौचालय-03, स्नानगृह नहीं-04)

17. समाज कल्याण सुविधाएँ यदि परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त की जा रही हैं

(वृद्धावस्था पेंशन-01, विधवा पेंशन-02, विकलांग पेंशन-03, स्वास्थ्य बीमा-04, सामान्य बीमा-05, अन्य-49)

18. नगर/शहर में प्रवास की स्थिति

0 से 1 वर्ष - 01, 1 से 3 वर्ष - 02, 3 से 5 वर्ष - 03, 5 वर्ष से अधिक - 04

19. यदि प्रवासी हैं तो कहाँ से आये हैं

(ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र-01, नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र-02)

20. प्रवास का प्रकार (मौसमी-01, स्थाई-02)

21. प्रवास का कारण

बेरोजगारी - 01, कम आय - 02, कर्ज - 03, सूखा - 04, विवाद - 05, शिक्षा - 06, शादी - 07, अन्य - 49

22. परिवार की औसत मासिक आय (रु. में)

23. परिवार का औसत मासिक व्यय (रु. में)

24. वर्तमान में परिवार पर कर्ज (रु. में)

25. परिवार के व्यस्क कमाऊ सदस्यों की संख्या

पुरुष

महिला

कुल

26. कुल शिक्षित सदस्य

अनपढ़	<input type="text"/>
प्राथमिक विद्यालय	<input type="text"/>
माध्यमिक विद्यालय	<input type="text"/>
हाईस्कूल	<input type="text"/>
सर्टिफिकेट / डिप्लोमा	<input type="text"/>
स्नातक / स्नातकोत्तर	<input type="text"/>
तकनीकी (जैसे इंजीनियरिंग)	<input type="text"/>

27. रोजगार स्थिति

स्वरोजगार	<input type="text"/>
सरकारी कर्मचारी	<input type="text"/>
वेतनभोगी	<input type="text"/>
नियमित मजदूरी	<input type="text"/>
आंशिक मजदूरी	<input type="text"/>
अन्य	<input type="text"/>

28. घर से कार्यस्थल की दूरी (कोड)

गरीब बस्ती में-01, गरीब बस्ती के बाहर 0.5 किमी से कम दूरी-02, 0.5 से 1.0 किमी दूरी तक-03, 1.0 से 2.0 किमी दूरी तक-04, 2.0 से 5.0 किमी दूरी तक-05, 5.0 किमी से अधिक दूरी तक-06

29. घर के बेरोजगार सदस्यों की बेरोजगारी का मुख्या कारण

अशिक्षित-01, व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव-02, रोजगार अवसर का अभाव-03, विकलांगता-04, अल्प आय-05, निवेश हेतु पूंजी का अभाव-06, समय से पूर्व नौकरी छूटना-07, कार्य इकाई का बंद हो जाना-08 संस्थान में कार्य का अभाव (स्वरोजगार व्यक्ति हेतु)-09, कार्यक्षेत्र में कार्य की कमी (अनियमित कर्मी हेतु)-10, बिना वेतन निकाले जाना-11, मालिक का व्यवहार खराब होना-12, स्वास्थ्य खराब होना-13, अन्य-49

30. कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव